दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार, 14 मार्च, 2008/फाल्गुन 24, 1929 (शक)

संख्या:243

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि गैर सरकारी सदस्यों के सकल्पों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानिकि 13 मार्च,2008 तक विधान सभा सिचवालय को 36 संकल्पों की सचनाएं प्राप्त हुई है। निम्नलिखित तीन संकल्पों को बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हुआ है,जिन्हें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति के अनुमोदन पर शुक्रवार, 28 मार्च,2008 को चर्चा के लिये लिया जायेगा:-

	भाषा, २००० प्राचित्र विभागात ।		
क्र.स.	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	
1.	श्री विजय जौली	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में आम माफी योजना को लागू किया जाये तथा उसके अन्तर्गत राजधानी की तमाम वैद्य एवं अवैद्य कालोनियों, गॉवों, लाल डोरा विस्तार आदि क्षेत्रों में चल रही सभी व्यवसायिक गतिविधियों को सीलिंग से स्थाई मुक्ति दी जाए ।	
2.	श्री भीष्म शर्मा	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के कुल बजट में से यमुनापार के विकास हेतु बजट का आबंटन वहां की जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से किया जाये ताकि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके।	
3.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन सकल्प करता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय में दो साल के पंजीकरण की शर्त को तुरन्त समाप्त किया जाये।	

सिद्धार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Friday 14th March, 2008 /24th Phalgun, 1929 (Saka)

No.243

Hon. Members are hereby informed that notices for 36 resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e., 13th March, 2008. The following three resolutions have been selected on the basis of balloting. On the recommendation of Committee on Private Members Bills and Resolutions these would be taken up for discussion on Friday, 28th March, 2008.

S.No.	Name of M.L.A.	Text of the Resolution
1.	Shri Vijay Jolly	This House resolves that absolute clemency be given to the people of Delhi for all commercial activities running in all the regularized and unauthorized colonies, villages and Lal Dora Extension, so that permanent relief from sealing can be provided to the people.
2.	Shri Bheeshm Sharma	This House resolves that out of the total Budget of Delhi, Budget for development of Trans Yamuna be allocated in accordance with the proportion of the population, so that comprehensive development of the area can be achieved.
3.	Shri O.P. Babber	This House resolves that for receiving the financial assistance from social welfare Department of National Capital of Delhi, the condition of two years registration with employment exchange for disabled persons be removed.

SIDDHARATH RAO SECRETARY